राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: बहु–विषयक दृष्टिकोण और उसकी प्रासंगिकता

डा. सावित्री तड़ागी,

एसोसिएट प्रोफेसर/विभागाध्यक्ष (शिक्षा शास्त्र), विद्यान्त हिन्दू पी.जी. कालेज, लखनऊ।

राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं आदर्शों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक राष्ट्र अपने विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए नीतियों का निर्धारण करता है। शिक्षा राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त कराने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि हमें शिक्षा का एक राष्ट्र निर्माणकारी उपकरण के रूप में उपयोग करना है तो इसके लिए शिक्षा की निश्चित नीतियों का निर्धारण आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता पर बल देते हुए कोठारी आयोग ने स्पष्ट किया कि ''यदि राष्ट्रीय प्रगति को तीव्र बनाना है तो एक सबल, सुनिश्चित एवं सुविचारित शिक्षा नीति की आवश्यकता है।''

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986

इस शिक्षा नीति में मानवतावादी आदर्शों की पुनः स्थापना करने का निश्चय दोहराया गया है, जिसका संक्षिप्त सार यह है कि शिक्षा सभी के लिए है और हमारे भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। शिक्षा वर्तमान और भविष्य दोनों के निर्माण के लिए एक अद्वितीय पूँजी निवेश है। यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधारभूत सिद्धान्त है।

इस नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में सम्पूर्ण देश में एक जैसी शैक्षिक संरचना परिकल्पित है। 10+2+3 के ढ़ाँचे को पूरे देश में स्वीकार कर लिया गया है। इस ढाँचे के प्रथम 10 वर्ष सामान्य शिक्षा के रखे गये जिसमें 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक या मिडिल स्तर और 2 वर्ष का हाई स्कूल। पुनः +2 स्तर इण्टरमीडिएट तथा त्रिवर्षीय प्रथम डिग्री कोर्स निर्धारित किया गया। नीति के अन्तर्गत एक बीज पाठ्क्रम (कॉमन कोर) के साथ अन्य विषय भी रखे गये जो लचीले थे। इस लचीले पाठ्यक्रम में भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, संवैधानिक जिम्मेदारियॉ तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने वाले अनिवार्य तत्व शामिल किए गए। शिक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत नई पीढ़ी में विश्वव्यापी दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना को बढावा दिया गया। उच्च शिक्षा तथा तकनीकी शिक्षा में गत्यात्मकता को बढ़ावा देने के साथ–साथ सभी को सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों पर बल दिया गया। इस शिक्षा नीति के अन्तर्गत ''लाभ उठाने से अब तक वंचित' वर्ग (1–महिलायें, 2–अनुसूचित जातियॉ, 3–अनुसूचित जनजातियॉ, अल्पसंख्यक वर्ग और 5–शारीरिक विकलॉग) को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराकर विषमताओं के उन्मूलन का प्राविधान किया गया। इसके अतिरिक्त एन.सी. ई.आर.टी तथा राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन संस्थान को शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में सहभागी बनाया गया।

प्रारम्भिक शिक्षा

प्रारम्भिक शिक्षा में दो बातों पर बल दिया गया–1.चौदह वर्ष तक के सभी बालकों की विद्यिालयों में भर्ती और उनका विद्यालय में टिके रहना और 2.शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। ''आपरेशन ब्लैकबोर्ड'' के माध्यम से स्कूलों में

मात्र ब्लैकबोर्ड ही नहीं उपलब्ध कराये गये। आपरेशन ब्लैकबोर्ड का लक्ष्य स्थानीय निकायों, पंचायतीराज तथा मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं पर पर्याप्त सुधार लाना था।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा की पुनर्रचना 10+2 के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए मूल्यवान जनशक्ति तैयार करने और इस हेतु देश के विभिन्न भागों में निःशुल्क, आवासी गति निर्धारक विद्यालयों (नवोदय विद्यालयों) की स्थापना और इनमें नई पद्धतियों को अपनाने और प्रयोग करने की छूट देने का प्राविधान किया गया। ये विद्यालय मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किये जाने की व्यवस्था की गई। ऐसे विद्यालयों के विकास का दायित्व सरकार का रखा गया। माध्यमिक शिक्षा के बाद व्यापक रूप से व्यावसायिक शिक्षा का प्राविधान किया गया। व्यावसायिक शिक्षाा सामान्यतः माध्यमिक शिक्षा के बाद एक अलग धारा के रूप में यद्यपि रखी गयी परन्तु इसे और लचीला बनाते हुए कक्षा 8 के उपरान्त भी यह सुविधा देने का प्राविधान किया गया।

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा का उद्देश्य छात्र के व्यक्तित्व के समग्र विकास को देखते हुये राष्ट्र की सेवा में एक ऐसी उत्पादक इकाई के रूप में तैयार करना जो राष्ट्र की आवश्यकताओं और विशिष्टताओं के अनुरूप हो। आज उच्च शिक्षा में उतनी गतिशीलता की आवश्यकता है जितनी कभी नहीं थी। नई शिक्षा नीति में यह बात दृढ़तापूर्वक कही गई कि उच्च शिक्षा व्यवस्था को गिरावट से बचाने के लिए हर सम्भव उपाय किये जायेंगे। कुछ अच्छे महाविद्यालयों को स्वायत्ता दी जायेगी। इसी तरह विश्वविद्यालयों के कुछ चुने विभागों को भी स्वायत्ता देने का प्राविधान किया गया।

तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा

तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा की नीति के अन्तर्गत भविष्य में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, उत्पादन और प्रबन्ध प्रक्रिया, ज्ञान का द्रुतगति से प्रसार तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वो परिवर्तनों के संदर्भ में देखने की व्यवस्था रखी गई। कम्प्यूटर के महत्व को समझते हुए कम्प्यूटर की शिक्षा स्कूल स्तर से ही प्रारम्भ की गई। तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा कार्यक्रम, पॉलीटैक्निक शिक्षा सहित, लचीली माड्यूलर पद्धति के अनुसार चलाने तथा प्रबन्ध शिक्षा प्रणाली द्वारा भारतीय अनुभव एवं अध्ययन पर आधारित दस्तावेजी जानकारी देने का प्राविधान किया गया। महिलाओं, आर्थिक तथा सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों एवं विकलांगों के लाभ के लिए तकनीकी शिक्षा के लिए समुचित औपचारिक तथा अनौपचारिक कार्यक्रम तैयार करने का भी प्राविधान किया गया। इन शिक्षा नीति को वर्ष 1992 में संशोधित किया गया।

लगभग 34 साल बाद पुनः नई शिक्षा नीति 2020 आई है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः एक परिचय 2020

भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 (एसडीजी 4) में परिलक्षित वैश्विक विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक ''सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन–पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिये जाने का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने

और सतत विकास के लिए 2030 के सभी महत्वपूर्ण टार्गेट और लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं।

ज्ञान के परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, और आर्टीफीसियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते विश्वभर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करेंगी और दूसरी ओर डेटा सांइस, कंप्यूटर सांइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐस कुशल कामगारों की जरूरत और मॉग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यत रखता हो। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृति संसाधनों के कारण ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे। महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव संक्रामक रोग प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहु–विषयक अधिगम की आवश्कता को बढ़ाते हैं। मानविकी और कला की बढ़ती मॉग साथ–साथ भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक बनने की ओर अग्रसर है।

शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने के स्थान पर जोर इस बात पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखें, विविध विषयों के बीच अंतर्संबंधों को देख पायें, कुछ नया सोच पायें और नयी जानकारी नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पायें। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कल, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य समावेश किया जाय। शिक्षा से चरित्र निर्माण, शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करूणा और संवेदनशीलता विकसित करने और और रोजगार के लिए सक्षम बनाना आवश्यक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, समानता और सिस्टम में अखंडता लाने वाले सुधारों की आवश्यकता है। 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य आवश्यक है जो किसी से पीछे नहीं है, एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहॉ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इक्कीसवीं सदी की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यह नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर जोर देती है। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या–ज्ञान जैसी 'बुनियादी क्षमताओं' के साथ–साथ 'उच्चतर स्तर' की तार्किक और समस्या–समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में यह नीति तैयार की गयी है।

इस नीति के आधार सिद्धांत

शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है–जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करूणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पनाशक्ति, नैतिक मूल्य और आधार हों। इसका उद्देश्य ऐसे उत्पादक लोगों को तैयार करना है जोकि अपने संविधान द्वारा परिकल्पित –समावेशी और बहुलतावदी समाज के निर्माण में बेहतर तरीके से योगदान करें। अतः

शिक्षा प्रणाली और व्यक्तिगत संस्थानों दोनों के मार्गदर्शन हेतु निम्न मूलभूत सिद्धांत नई शिक्षा नीति में रखे गये हैं:–

- हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास हेतु प्रयास करना;
- बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना;
- लचीलापन, ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर–तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रूचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता चुन सकें;
- कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षाणिक धाराओं, आदि के बीच कोई स्पष्ट अलगाव न हों, जिससे ज्ञान क्षेत्रों के बीच हानिकारक ऊंच–नीच और परस्पर दूरी एवं असंबद्धता को दूर किया जा सके;
- सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहु–विषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहु–विषयक और समग्र शिक्षा का विकास;
- अवधारणात्मक समझ पर जोर;
- रचनात्मक और तार्किक सोच तथा नवाचार को प्रोत्साहित करना;
- नैतिकता, मानवीय और संवैधानिक मूल्य;
- बहु–भाषिकता और अध्ययन–अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को प्रोत्साहन;
- जीवन कौशल, जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन;
- सीखने के लिए सतत मूल्यॉकन पर जोर;
- सभी पाठ्यक्रम, शिक्षण–शास्त्र और नीति में स्थानीय संदर्भ की विविधता और स्थानीय परिवेश के लिए एक सम्मान;
- सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में पूर्ण समता और समावेशन;
- स्कूल शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों के शिक्षा पाठ्यक्रम में तालमेल, प्रारंभिक बाल्यावस्था देख–भाल तथा शिक्षा से;
- शिक्षकों और संकाय को सीखने की प्रक्रिया का केन्द्र मानना;
- शैक्षिक प्रणाली की अखंडता, पारदर्शिता और संसाधन कुशलता आडिट और सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए एक हल्का, लेकिन प्रभावी नियामक ढांचा– साथ ही स्वायत्ता, सुशासन, और सशक्तीकरण के माध्यम से नवाचार और आउट–आफ–द–बॉक्स विचारों को प्रोत्साहित करना;
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विकास के लिए उत्कृष्ट स्तर का शोध;
- शैक्षिक विशेषज्ञों द्वारा निरंतर अनुसंधान और नियमित मूल्यांकन के आधार पर प्रगति की सतत समीक्षा;
- भारतीय जड़ों और गौरव से बंधे रहना;
- शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है;
- एक मजबूत, जीवंत सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त निवेश;

नीति का विजन

इस राष्ट्रीय शैक्षिक प्रणाली का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में

बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि सही मायने में वैश्विक नागरिक बन सकें।

स्कूल शिक्षा

यह नीति वर्तमानकी 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की नयी व्यवस्था में पुनर्गठित करने की बात करती है। वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। नये 5+3+3+4 ढ़ांचे में 3 वर्ष के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जिससे आगे चलकर बच्चों का विकास बेहतर हो, वे बेहतर उपलब्धियॉ हासिल कर सकें और खुशहाल हों।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षाः सीखने की नींव

बच्चों के मस्तिष्क का 85 प्रतिशत विकास 6 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही हो जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान को जल्द से जल्द निश्चय ही वर्ष 2030 से पूर्व उपलब्ध करा देना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पहली कक्षा में प्रवेश पाने वाले सभी बच्चे स्कूली शिक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हों। एन.सी.ई.आर.टी द्वारा 8 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए दो भागों में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढ़ांचा विकसित किया जायेगा, जिसके अन्तर्गत 0–3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब–फ्रेमवर्क और 3–8 वर्ष के लिए एक अन्य सब–फ्रेमवर्क का विकास किया जायेगा जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नवाचार एवं सर्वोत्तम प्रथाओं पर नवीनतम शोध को सम्मिलित किया जायेगा। बाल्यावस्था की शिक्षा विकास के लिए समृद्ध प्राचीन भारतीय स्थानीय परंपराओं, जिनमें कला, कहानियॉ, कविता, खेल, गीत आदि सम्मिलित हैं को प्रधानता दी जायेगी।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की सार्वभौमिक पहुॅच के लिए ऑगनवाड़ी केन्द्रों को उच्चतर गुणवत्ता के बुनियादी ढ़ांचे, खेलने के उपकरण और पूर्ण प्रशिक्षित ऑगनवाड़ी कार्यकत्रियों/शिक्षकों के साथ सशक्त बनाया जायेगा। यह परिकल्पित है कि 5 वर्ष की आयु से पहले हल बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या 'बालवाटिका' जोकि कक्षा एक से पहले है में स्थानान्तरित हो जायेगा, जिनमें ईसीसीई योग्य प्रशिक्षक होंगे। सभी बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त कराने हेतु तत्काल एक राष्ट्रीय अभियान चलाकर 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या–ज्ञान प्राप्त कराया जायेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु पियर ट्यूटरिंग और वोलेंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने का प्राविधान है।

ड्राप आउट बच्चों की संख्या कम करने और सभी स्तरों पर शिक्षा की सार्वभौमिक पहुॅच सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों की ट्रैकिंग कर उन पर नजर रखने का आह्वान किया गया है जिससे वे (क) स्कूल में दाखिला ले रहे हैं और उपस्थित हो रहे हैं (ख) ड्रॉप–आउट बच्चों के लौटने और यदि वे पीछे रह गए हैं तो उन्हें पुनः मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्र्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। नई पहल के अन्तर्गत बच्चों के अधिगम में सुधार के लिए भूतपूर्व विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों से उपयुक्त

साक्षर स्वयंसेवकों, सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों/सरकारी अर्धसरकारी कर्मचारियों, भूतपूर्व विद्यार्थियों और शिक्षाविदों का एक डेटाबेस तैयार किया जायेगा।

स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण–शास्त्रः अधिगम समग्र, एकीकृत, आनंददायी और रूचिकर बनाने के लिए 5+3+3+4 के नए डिजाईन में स्कूल पाठ्यक्रम और शिक्षण–शास्त्र को पुनर्गठित किया जायेगा जिसके अन्तर्गत 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 की उम्र के विभिन्न पड़ावों पर विद्यार्थियों के विकास की अलग अलग अवस्थाओं के अनुसार उनकी रूचियों और विकास की जरूरतों पर समुचित ध्यान दिया जा सके। स्कूल शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढ़ांचे और पाठ्यक्रम की रूप रेखा 5+3+3+4 डिजाईन पर मार्गदर्शित होगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत फाउंडेशनल स्टेज (दो भागों में अर्थात् आंगनवाड़ी/प्रि–स्कूल के 3 साल + प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1–2 में दो साल, 3–8 वर्ष के बच्चों सहित), प्रिपरेटरी स्टेज (कक्षा 3–5, 8 से 11 वर्ष के बच्चों सहित), मिडिल स्कूल स्टेज (कक्षा 6–8, 11 से 14 वर्ष के बच्चों सहित), और सेकेंडरी स्टेज (कक्षा 9 से 12, दो फेज में, यानी पहले फेज में 9 और 10 और दूसरे में 11 और 12, 14 से 18 वर्ष के बच्चों सहित) सम्मिलित होगी।

नई पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना		
5+3+3+4	डिजाइन	उम्र 3–18
➢	मूलभूत चरण	(पूर्व–प्राथमिक और ग्रेड/कक्षा 1–2)
➢	प्रारंभिक चरण	ग्रेड/कक्षा 3–5
➢	मध्य चरण	ग्रेड/कक्षा 6–8
➢	माध्यमिक चरण	ग्रेड/कक्षा 9–12
➢	केवल शैक्षिक पुनर्संरचना; स्कूलों की कोई भौतिक पुनर्संरचना नहीं	
पाठ्यक्रम और शिक्षा शास्त्र का परिवर्तन		
➢	भाषा दक्षता, वैज्ञानिक स्वभाव, सौंदर्य बोध, नैतिक तर्क, डिजीटल साक्षरता, भारत का ज्ञान, सामयिकी का विकास करना।	
➢	राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा को सभी भाषाओं में संशोधित किया जायेगा।	
➢	भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली नई पाठ्यपुस्तकें।	
➢	लचीला/एकीकृत पाठ्यक्रम और मूल्यॉकन	

फाउंडेशन स्टेज

नई शिक्षा नीति के अनुसार इस स्टेज में 3–8 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया हैं जिसमें आंगनवाड़ी/प्रि–स्कूल के 3 साल तथा प्राथमिक स्कूल में कक्षा 1–2 में दो साल सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत शिक्षार्थियों का भाषा कौशल तथा शैक्षिक स्तर का मूल्यॉकन किया

जायेगा और उसके विकास में ध्यान केन्द्रित किया जायेगा।

प्रिपरेटरी स्टेज

इस स्टेज में 8–11 वर्ष तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे होंगे। इस स्टेज में बच्चों के संख्यात्मक कौशल को मजबूत करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जायेगा और बच्चों को क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान दिया जायेगा।

मिडिल स्कूल स्टेज

इस स्टेज के भीतर छठवीं से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित किया गया है जिसमें छठवीं कक्षा से ही बच्चों को कोडिंग सिखाना प्रारम्भ किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को व्यवसायिक प्रशिक्षण के साथ–साथ व्यवसाय इंटर्नशिप के अवसर भी प्रदान किए जायेंगे।

सेकेंडरी स्टेज

इस स्टेज में आठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा तक के शिक्षार्थियों को सम्मिलित किया गया है। यहॉ पर आठवीं कक्षा से बारहवीं कक्षा के शैक्षिक पाठ्यक्रम को भी खत्म करके बहु वैकल्पिक शैक्षिक पाठ्यक्रम को प्रारम्भ किया गया है। छात्र एक निर्धारित स्ट्रीम के भीतर नहीं बल्कि अपनी मनपसंद के अनुसार अपने विषयों को चुन सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत छात्रों को विषयों को चुनने को लेकर स्वतंत्रता दी गई है। इस प्रकार छात्र विज्ञान के साथ–साथ कल एवं वाणिज्य के विषय को भी एक साथ पढ़ सकेंगे।

उल्लेखनीय है कि हाई स्कूल (या सेकेंडरी) स्टेज में चार साल के बहु–विषयक अध्ययन शामिल होंगे जो इस स्टेज के विषय–उन्मुख शिक्षाक्रमीय और शिक्षण–शास्त्रीय शैली पर आधारित होंगे, जो विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को लेकर लचीलेपन के साथ होंगे। विशेष रूप से, यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यवसायिक या किसी विशेषज्ञताप्राप्त स्कूल में ग्रेड 11–12 में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे।

नई नीति के अन्तर्गत कला–समन्वय (आर्ट–इंटीग्रेशन) एक क्रॉस–करिकुलर शैक्षणिक दृष्टिकोण है जिसमें विविध–विषयों की अवधारणाओं के अधिगम आधार के रूप में कला और संस्कृति के विभिन्न अवयवों का उपयोग किया जाता है। अनुभव आधारित अधिगम पर विशेष बल दिये जाने के अंतर्गत कला–समन्वित शिक्षण को कक्षा प्रक्रियाओं में स्थान दिया जायेगा जिससे न सिर्फ कक्षा अधिक आंनदपूर्ण बनेगी बल्कि भारतीय कला और संस्कृति के शिक्षण में समावेश से भारतीयता से भी बच्चों का परिचय हो पायेगा। इस एप्रोच से शिक्षा और संस्कृति के परस्पर संबंधें को भी मजबूती मिलेगी। इसके अतिरिक्त खेल–समन्वय भी एक क्रास–करिकुलर शैक्षिणक दृष्टिकोण है जिसके अन्तर्गत छात्र को फिटनेस को एक आजीवन दृष्टिकोण के रूप में अपनाने और फिट इंडिया मूवमेंट के अनुसार जीवन कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी। शिक्षा में खेलों के समन्वय की आवश्यकता को पहले ही पहचाना जा चुका है क्योंकि इससे बच्चों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण के माध्यम से सर्वांगीण विकास होता और संज्ञानात्मक क्षमताएॅ भी बढ़ती हैं।

कोर्स चुनाव के विकल्पों में लचीलेपन के माध्यम से छात्रों को सशक्त करने की दृष्टि से माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन के लिए अधिक लचीलापन और विषयों के चुनाव के विकल्प दिये जायेंगे, इनमें शारीरिक शिक्षा, कला और शिल्प तथा व्यावसायिक विषय सम्मिलित होंगे। विज्ञान,

मानविकी और गणित के अलावा भौतिक शिक्षा, कला और शिल्प और रूावसायिक कौशल जैसे विषयों को यह विचार करते हुए कि उम्र के प्रत्येक पड़ाव में विद्यार्थियों के लिए क्या रूचिपूर्ण और सुरक्षित है और क्या नहीं, स्कूल के पूरे पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

यह सर्वविदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा/मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते और समझते हैं। अतः न्यूनतम ग्रेड 5 और उससे आगे ग्रेड 8 तक शिक्षा का माध्यम घर की भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा /क्षेत्रीय भाषा का प्राविधान किया गया है। 2 से 8 वर्ष के बच्चों को फाउंडेशनल स्टेज में मातृ भाषा/स्थानीय भाषा में अधिक एक्सपोजर दिया जायेगा। इसके उपरान्त ग्रेड 3 और आगे की कक्षाओं में अन्य भाषाओं में पढ़ने और लिखने के लिए कौशल विकसित किये जायेंगे। विभिन्न भाषाओं को सीखने के लिए और भाषा शिक्षिण को लोकप्रिय बनाने के लिए तकनी का बृहद उपयोग किया जायेगा।

संवैधानिक प्रावधानों, बहुभाषावाद और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने आवश्यकता के दृष्टिगत त्रिभाषा फार्मूला लागू रहेगा, जिसमें लचीलापन रहेगा। बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली तीन भाषाओं के विकल्प राज्यों, क्षेत्रों और छात्रों के स्वयं के होंगे जिनमें से कम से कम तीन में दो भाषाएँ भारतीय हों। जो छात्र तीन में से एक या अधिक भाषाओं को बदलना चाहते हैं, वे ऐसा ग्रेड 6 या 7 में कर सकेंगे। लेकिन उन्हें तीनों भाषा में, जिनमें एक भारतीय भाषा को उसके साहित्य के स्तर पर अध्ययन करना शामिल है, माध्यमिक कक्षाओं के अंत तक बुनियादी दक्षता हासिल करके दिखाना होगा।

इस प्रकार देश में प्रत्येक विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान 'द लैंग्वेजज आफ इंडिया' पर एक मजेदार प्रोजैक्ट/गतिविध में भाग लेगा, जिससे वह प्रमुख भारतीय भाषाओं के उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। यह 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' पहल को चरितार्थ करेगा। फाउंडेशन और मिडिल स्कूल स्तर पर संस्कृत की पाठ्यपुस्तकों को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाने (एसटीएस) और इसके अध्ययन को आनंददायी बनाने के लिए सरल मानक संस्कृत (एसएसएस) में लिखा जा सकेगा। संस्कृत के अलावा भारत की अन्य शास्त्रीय भाषायें और साहित्य जिनमें तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, पालि, फारसी और प्राकृत शामिल हैं, स्कूलों में व्यापक रूप से छात्रों के लिए विकल्प के रूप में सम्भवतः ऑनलाइन माड्यूल के रूप में अनुभावात्मक और अभिनव एप्रोच के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में उच्चतर गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा, विदेशी भाषाएं, जैसे कोरियाई, लापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भी माध्यमिक स्तर पर व्यापक रूप से अध्ययन हेतु उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि विद्यार्थी विश्व–संस्कृतियों के बारे में जानें और अपनी रूचियों और आकांक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को और दुनिया भर में घूमने–फिरने को सहजता से बढा सकें। इसके अतिरिक्त भारतीय साइन लैंग्वेज (आई एसएल) को देश भर में मानकीकृत किया जाएगा, और राष्ट्रीय और राज्य पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी, जोबधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की जाएगी।

उच्चतर शिक्षा

हमारे संविधान में भारत को एक लोकतांत्रिक, न्यायपूर्ण, सामाजिक रूप से सचेत, सांस्कारिक और मानीवय राष्ट्र के रूप में विकसित करने की परिकल्पना की गई है। यह राष्ट्र के आर्थिक विकास और आजीविकाओं को स्थायित्व देने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। उच्चतर शिक्षा द्वारा छात्रों को अधिक सार्थक और संतोषजनक जीवन और कार्य भूमिकाओं के लिए तेयार होना चाहिए

और आर्थिक स्वतंत्रता को सक्षम करना चाहिए। उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तिगत रोजगार के अवसरों का सृजन करना ही नहीं बल्कि अधिक जीवंत और सामाजिक रूप से जुडे हुए सहकारी समुदायों के साथ मिलकर एक अधिक खुशनुमा, सामंजस्यपूर्ण, सुंसंस्कृत, उत्पादक, अभिनव, प्रगतिशील और समृद्ध राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना है। सभी युवा लोगों को उनकी आकांक्षा के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण, समान अवसर देने वाली एवं समावेशी उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से उच्चतर शिक्षा प्रणाली में निम्न मुख्य परिवर्तन सम्मिलित हैं:–

1. ऐसी उच्चतर शिक्षा व्यवस्था की ओर बढ़ना जिसमें विशाल बहु–विषयक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हों, जहॉ प्रत्येक जिले में या उसके पास कम से कम एक और पूरे भारत में अधिकतर एचईआई ऐसे हों, जो स्थानीय/भारतीय भाषाओं में शिक्षा या कार्यक्रमों का माध्यम प्रदान करते हों;
2. और अधिक बहु–विषयक स्नातक शिक्षा की ओर बढ़ना;
3. संकाय और संस्थागत स्वायत्ता की ओर बढ़ना;
4. विद्यार्थियों के अनुभव में वृद्धि के लिए पाठ्यचर्या, शिक्षण–शास्त्र, मूल्यॉकन और विद्यार्थियों को दिए जाने वाले सहयोग में आमूल–चूल परिवर्तन करना;
5. शिक्षण, अनुसंधान और सेवा के आधार पर योग्यता–नियुक्तियों और करियर की प्रगति के आध्यम से संकाय और संस्थागत नेतृत्व की स्थिति की स्थिति की अखंडता की पुष्टि करना;
6. सहकर्मी द्वारा समीक्षा की गई उत्तम अनुसंधान और विश्वद्यिालयों और कालेजों में सक्रिय रूप से अनुसंधान की नींव रखने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ);
7. शैक्षणिक और प्रशासनिक स्वायत्ता वाले उच्चतर–योग्य स्वतंत्र बोर्डों द्वारा एचईआई का गवर्नेंस;
8. व्यावसायिक (प्रोफेशनल) शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा के सभी एकल नियामक द्वारा ''लचीला लेकिन स्थायित्व प्रदान करने वाला विनियमन'';
9. उपायों की एक श्रृंखला के माध्यम से पहुॅच, समता और समावेशन में वृद्धि; इसके साथ ही उत्कृष्ट सार्वजनिक शिक्षा के लिए अधिक अवसर; वंचित और निर्धन छात्रों के लिए निजी/परोपकारी विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति में प्र्याप्त वृद्धि;ओपन स्कूलिंग, ऑनलीन शिक्षा, और मुक्त दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल); और दिव्यॉग शिक्षार्थियों के लिए सभी बुनियादी ढ़ांचे और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और उस तक उनकी पहुॅच।

नई शिक्षा नीति के लाभ

नई शिक्षा नीति छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने में सहायक सिद्ध होगी। नीति के मुख्य लाभ निम्न प्रकार हैं:–

1. पॉचवीं कक्षा तक छात्रों की भाषा, गणित और सामान्य ज्ञान के साथ–साथ पारस्परिक कौशल (इन्टरएक्टिव स्किल्स) बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा।
2. छात्रों को इतना कुशल और हुनरमंद बनाया जायेगा कि उनके भविष्य के साथ देश का भी विकास हो सके।
3. छठवीं से आठवीं तक के विद्यार्थियों को बहु–आयामी पाठ्यक्रम (मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज) के माध्यम से

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जायेगा।

4. छात्र छठवीं कक्षा से ही व्यावसायिक शिक्षा के साथ अप्रेन्टिस भी करेंगे, जिससे उन्हें भविष्य में काम–धंधा करने में लाभ होगा।

5. नवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए भी बहु–आयामी पाठ्यक्रम (मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज) बनाये जायेंगे। साथ ही छात्रों को अपनी रूचि के अनुसार आगे बढ़ने पर जोर दिया जायेगा। संगीत, खेल या कुकिंग आदि के कौशल को सुदृढ़ कर उन्हें भविष्य में इन्हीं क्षेत्रों में रोजगार के लिए तैयार किया जायेगा।

6. भर्तियॉ मेरिट के आधार पर होंगी। ईसीसीई अर्थात 'अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन' के माध्यम से बच्चों की देखभाल को शिक्षा से जोड़ा जायेगा।

7. तीन–चार वर्षों की स्नातक शिक्षा के दौरान छात्रों के पास प्रवेश एवं निकास हेतु अनेक विकल्प उपलब्ध होंगे।

8. छात्र विज्ञान के साथ कला एवं वाणिज्य के विषय भी अपनी रूचि के अनुसार पढ़ सकेंगे, परन्तु डिग्री उन्हें मुख्य स्ट्रीम, अर्थात कला या विज्ञान की ही मिलेगी।

नई शिक्षा नीति से हानियॉ

यद्यपि नई शिक्षा नीति देश एवं दुनिया के वर्तमान एवं भविष्य के परिदृश्य की आवश्यकतों के अनुसार निर्धारित की गई और इससे भविष्य में छात्रों को वॉछित लाभ भी मिलेगा, तथापि निकट भविष्य में इसके उद्देश्यों को पूरा करने में कतिपय कठिनाइयॉ आयेंगी, जिससे छात्रों को लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है।

1. नई शिक्षा नीति में स्थानीय/मातृभाषा पढाने पर जोर दिया गया है। भारतीय राज्यों में भाषायी विविधता के संदर्भ में समन्वय आवश्यक होगा। वर्तमान में समस्या उत्पन्न हो सकती हैं।

2. भाषायी शिक्षकों के अभाव में छात्रों को वॉछित भाषाज्ञान प्राप्त नही हो सकेगा।

3. प्रारम्भिक शिक्षा में सुधार के लिए ऑगनवाड़ी स्तर से ही सुधार पर जोर दिया गया है, परन्तु वर्तमान में वहॉ पर प्रशिक्षित शिक्षक/कार्यकत्री एवं ढांचागत सुविधाओं की कमी है।

4. निजी स्कूलों द्वारा छात्रों को छोटी कक्षा से ही अंग्रेजी सिखाने पर जोर दिया जाता रहेगा, जिससे उनके और सरकारी स्कूलों के छात्रों के बीच का भाषाज्ञान का अन्तर बढ़ने की आशंका है।

5. बहु–विषयक शिक्षा विकल्प के चलते जागरूकता के अभाव में छात्रों में विषय चयन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

6. बच्चों को संरचनात्मक तरीके से सीखने के अधीन किया गया है, जिससे उनके दिमाग पर बोझ बढ़ सकता है।

देश–दुनिया में हुए अद्यावधिक सामाजिक, भौगोलिक, भौतिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी परिवर्तनों एवं विकास के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा नीति 1986 में परिवर्तन एवं सुधार की आवश्यकता थी। इस परिप्रेक्ष्य में नई शिक्षा नीति 2020 में वर्तमान की वास्तविकता एवं भविष्य की परिकल्पना की दृष्टि से आवश्यक सकारात्मक सुधार किये गये हैं, जो पूर्णतः प्रासंगिक हैं। जितनी शीघ्रता एवं प्रभावपूर्ण ढंग से नई शिक्षा नीति 2020 लागू की जायेगी उतनी जल्दी भारत विश्वगुरू के अपने गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त करने में सक्षम होगा।

संदर्भ

1. बी.पी. जौहरी एवं पी.डी. पाठक, भारतीय शिक्षा का इतिहास।
2. डा. एल. बी. बाजपेयी, भारतीय शिक्षा का विकास एवं सामयिक प्रवृत्तियॉ।
3. मशरूवाला, शिक्षा का विकास।
4. डा. मालती सारस्वत और प्रो. एस. एल. गौतम, भारत में शैक्षिक प्रणाली का विकास।
5. नई शिक्षा नीति 2020।
6. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986।
7. पी.डी. पाठक, भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें।
8. डा. सीताराम जायसवाल, शिक्षा का सामाजिक आधार।
9. वंशी सिंह एवं भूदेव शास्त्री, स्वतंत्र भारत में शिक्षा की प्रगति।
10. सैयदन, के.जी. : शिक्षा की पुनर्रचना।